**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**
**पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰**
**प्रकरण संख्या 39 / 2023 (उदयपुर डिक्री)**

रामजी पुत्र स्वर्गीय सुरमा जी डामोर, निवासी बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

**बनाम**

1. वीरजी पुत्र स्वर्गीय सुरमा जी डामोर, निवासी बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
2. गोतम पुत्र स्वर्गीय सुरमा जी डामोर, निवासी बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
3. अर्जुन पुत्र स्वर्गीय सुरमा जी डामोर, निवासी बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
4. सवजी पुत्र स्वर्गीय सुरमा जी डामोर, निवासी बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
5. सोमा पुत्र स्वर्गीय काउवा जी डामोर, निवासी बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
6. बंशी पुत्र स्वर्गीय काउवा जी डामोर, निवासी बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
7. बाबुलाल पुत्र स्वर्गीय काउवा जी डामोर, निवासी बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती खातरी पत्नी स्वर्गीय काउवा जी डामोर, निवासी बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान काश्त॰ अधि॰ – 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा दि॰ 13.01.2023, प्रकरण संख्या 54 / 2012

———/———

उपस्थित :– 1– श्री हर्षद जोशी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री लोकेश मेनारिया अभिभाषक रे.सं. 1 से 7

———::———

**निर्णय** **दिनांक 11–03–2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 से 8 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि गांव

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:01:30 IST
Reason: SelfAttested

बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित खाता संख्या 290 नये 311 पुराने की आराजियात कुल किता 32 रकबा 4.5800 हैक्टर भूमि स्थित है। वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार मूल पुरूष सुरमा जी होकर उनके 6 पुत्र सवजी, काउवा, विरजी, रामजी, गोतम, अर्जुन हुए, जिससे प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा होकर उसी अनुसार काबिज हैं। सवजी वादी संख्या 1 है, जबकि काउवा की मृत्यु होकर उसके वारिस वादी संख्या 2 से 5 हैं तथा सुरमा के अन्य पुत्र विरजी, रामजी, गोतम, अर्जुन क्रमशः प्रतिवादी संख्या 1 से 4 हैं। अतः विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17–12–2018 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 13–01–2023 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 23–05–2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 की ओर से अभिभाषक श्री लोकेश मेनारिया उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हर्षद जोशी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में प्रत्यर्थी संख्या 4 से 8 मौके पर गये तथा अपीलान्ट को कब्जा खाली करने को कहा, तब अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:01:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा पक्षकारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जाना था, जबकि मौके पर तहसीलदार नहीं गये तथा विभाजन नियम 18 से 21 की पालना में नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषकउ रेस्पोन्डेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17–12–2018 को जारी की गयी जबकि उसके 4 वर्ष पश्चात दिनांक 13–01–2023 को अंतिम डिक्री जारी की गयी है तथा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है, वह भी वादीगण व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है, जिससे स्पष्ट है विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर जारी अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 13–01–2023 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारों को विधिवत सूचना पत्र जारी कर उनकी उपस्थिति में स्वयं तहसीलदार खेरवाड़ा बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30–04–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 11–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

**(कीर्ति राठौड़)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:01:30 IST
Reason: SelfAttested